

\*“ऑपरेशन कनक्वशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत 13 अभियोगों में 14 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा कुल 38,500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\*

\*श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश\* द्वारा चलाये जा रहे \*“ऑपरेशन कनक्वशन”\* व \*श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर\* द्वारा चलाये जा रहे \*“ऑपरेशन शिकंजा”\* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में \*संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल\* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 02.02.2024 को \*सी0 जे0 (जे0 डी0) एफटीसी प्रथम/जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर\* द्वारा \*थाना दुधारा\* पर पंजीकृत 01- मु0अ0सं0 869/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता करम हुसेन पुत्र छोटक निवासी मुड़ाडीह बेग थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

02- मु0अ0सं0 382/2007 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व धारा 429 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1- इरशाद अहमद पुत्र कलीम कसाई निवासी बढ़यामाफी 2- अहमद हुसैन पुत्र अय्युब निवासी खरहसा थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 429 भा0द0वि0 के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500-2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

03- मु0अ0सं0 699/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता जुम्मन पुत्र अब्दुल हमीद निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

04- मु0अ0सं0 81318/2011 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता इसहाक पुत्र अब्दुल्लाह निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा

2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

05- मु0अ0सं0 1073/2014 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1-जुम्मन पुत्र अब्दुल हमीद 2- इसहाक पुत्र अब्दुल्लाह निवासी बढयामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

06- मु0अ0सं0 436/2016 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता मो0 उमर पुत्र शकूर निवासी रौनहिया थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

07- मु0अ0सं0 137/1996 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता इसहाक पुत्र अब्दुल्ला निवासी बढयामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

08- मु0अ0सं0 265/2007 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1- अब्दुल रहमान पुत्र मुस्ताक अहमद 2- मुमताज पुत्र अब्दुल्लाह निवासीगण करमाखान थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

09- मु0अ0सं0 979/2016 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1- मुस्तफा हुसैन पुत्र टेनी उर्फ मो0 हुसैन निवासी सिसवा दाखिली 2- जैस मो0 उर्फ आस मो0 पुत्र मशीदार उर्फ मुंशीरजा निवासी पकड़ी अराजी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500-2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

10- मु0अ0सं0 357/2012 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता मतीउल्लाह पुत्र सौदागर निवासी बुढाननगर थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल

में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

11- मु0अ0सं0 615/2007 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता आजाद पुत्र बंशी बंजारा निवासी भरवलिया बूढ़न थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

12- मु0अ0सं0 678/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता कमरुल होदा पुत्र शाह मोहम्मद निवासी करही थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

13- मु0अ0सं0 623/2012 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता शब्बीर पुत्र दोस्त मोहम्मद निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

**\*जनपद – संतकबीरनगर\***

**\*प्रेस विज्ञप्ति\***

**\*दिनांक 02.02.2024\***

आज दिनांक 02.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर \*डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार\* पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती \*श्री आर0के0 भारद्वाज\* के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य-

**\*दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में \*थाना महुली पुलिस द्वारा\* वारण्टी नाम पता दिनेश पुत्र रामदौड़ निवासी जमीरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-** उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, का0 लालजी गोंड, का0 अनुभव सिंह

|

**\*शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार\***

- \*थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा\* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- \*थाना दुधारा पुलिस द्वारा\* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।
- \*थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा\* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।
- \*थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा\* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

**\*पीआरवी आफ द डे\***

**\*पीआरवी 1484 द्वारा दो पक्षों के मार/पीट में घायल 03 महिला/पुरुष को भेजवाया गया अस्पताल—\*** पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत जिगिना से इवेन्ट संख्या 04278 से कालर द्वारा दो पक्षों में किसी बात को लेकर मार/पीट की सूचना पर (01 आयंश पुत्र पिन्टू, 2- दीपा पत्नी पिन्टू, 3- करिश्मा पुत्री रघुपति निवासीगण जिगिना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

**\*पीआरवी स्टाफ-\*** मु0आ0 गेरखनाथ यादव, आ0 पंकज यादव, हो0चा0 रामहित प्रजापति।

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 62 वाहनों से 57,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 02.02.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 62 वाहनों से 57,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

**\*जनपद - संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 02.02.2024\***

**\*संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 03 सीसीटीवी कैमरे\***

\*श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर\* द्वारा चलाये जा रहे \*आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान\* के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* के निर्देशन में आज दिनांक 02.02.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 03 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। \*थाना महुली\* पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 03 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरूर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।